

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] No. 49] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2017/ माघ 25, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2017/MAGHA 25, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण) अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017

फा. सं. 10/क्यूए/एफए परीक्षा/एफएसएसएआई/2016.—खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.4 के उप-नियम 1(ii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 28 जुलाई, 2016 में प्रकाशित, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के भारत सरकार की अधिसूचना सं. फाइल संख्या 10/क्यूए/एफए परीक्षा/ एफएसएसएआई/2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 'VI.' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"VI. डॉ. एन. भास्कर, सलाहकार (गुणवत्ता आश्वासन अनुभाग), एफएसएसएआई – सदस्य सचिव"।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असाधारण/413/16 (187क्यू)]

780 GI/2017 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2017

F. No. 10/QA/FA Exam/FSSAI/2016.—In exercise of powers conferred under sub-rule 1(ii) of rule 2.1.4 of the Food Safety and Standards Rules, 2011, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) hereby makes the following amendment in the notification of the Ministry of Health and family Welfare (Food Safety and Standards Authority of India) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, namely:—

In the said notification, for serial number 'VI.', the following shall be substituted, namely:—
"VI. Dr. N. Bhaskar, Adviser (Quality Assurance Division), FSSAI – Member Secretary".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./413/16 (187Q)]